

International Research Journal of Management Science & Technology



**ISSN 2250 – 1959(Online)
2348 – 9367 (Print)**

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJ MST.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

सामाजिक न्याय एवं कल्याण

डॉ. सुनीता

डॉ. राजश मारकण्डेय

प्रस्तावना – सामाजिक न्याय की संकल्पना व्यापक है जिसके अंतर्गत 'सामान्य हित' के मानकों से संबंधित सब कुछ आ जाता है। यह न केवल विधि के समय समानता के अधिकार का पालन करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है, जैसा हम पश्चिमी देशों में देखते हैं बल्कि इसका संबंध उन कुत्सित सामाजिक कुरीतियों जैसे— दरिद्रता, बीमारी, बेकारी और भूखमरी आदि को दूर करने से भी है जिनकी तीसरी दुनिया के विकासशील देशों पर गहरी चोट पड़ी है।

सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, विषमताएं न्यूनतम हो, समाज 'समावेशी' हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो।

भारत के संविधान निर्माताओं ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है।

सामाजिक न्याय का उद्देश्य – महिलाओं, पिछड़े वर्गों, जनजातीय समुदायों, विकलांगों वृद्धों और अनाथ बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर एक समावेशी समाज की स्थापना करना है। इसका लक्ष्य उस व्यवस्था की समाप्ति है जिसके बारे में 'रूसों' ने कहा है "कोई व्यक्ति इतना अमीर न हो कि वह दूसरे व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण करें और न ही कोई व्यक्ति इतना निर्धन हो कि वह स्वयं को बेचने के लिए बाध्य हो जाए।

सामाजिक न्याय व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने, असुरक्षित व हाशिये पर स्थित सामाजिक समूहों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं समावेशी समाज की स्थापना हेतु अति आवश्यक है। सामाजिक न्याय मुख्यतः विधिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है तथा समाज में हाशिये पर स्थित समूह (ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, चलवासी जनजातियाँ) समाज के पद दलित समूह, असुरक्षित समूह (अनुसूचित जातियों, जनजातियों, निःशक्तजन, एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित, अल्पसंख्यक समूह) महिलाओं दिव्यांगों, अनाथों एवं वृद्धों आदि को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करता है।

सामाजिक कल्याण – कल्याणकारी राज्य शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों के संरक्षण तथा संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी राज्य अवसरों की समता, अन्तार्किक विषमताओं की समाप्ति, संसाधनों के समान वितरण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित होता है।

भारत में कल्याणकारी राज्य – भारतीय इतिहास में अनेक शासकों ने आम नागरिकों के कल्याण को सर्वाधिक प्रमुखता दी। उदा. प्राचीनकाल में अशोक के शासन का स्वर्णिम युग और मध्यकाल में अकबर का शासन, ये दोनों ऐसे अभूतपूर्व शासकों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने-अपने समय में वास्तविक अर्थों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। वर्तमान युग में भारत में कल्याणकारी राज्य

की अवधारणा आर्थिक उपाय, संवैधानिक और वैधानिक उपाय, सामाजिक उपाय एवं राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है—

आर्थिक उपाय –

(1) 200 वर्षों तक ब्रिटीश औपनिवेशिक शासन के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित, अर्द्धसामंती पिछड़ी एवं गतिहीन अवस्था में थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने समाजवादी लोकतांत्रिक मॉडल के साथ-साथ सोवियत संघ की नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया। विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य द्वारा भारी उद्योगों व सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संसाधनों का समुचित दोहन व वितरण किया गया।

(2) वर्ष 1991 से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीति को अपनाया। तब से आर्थिक कल्याण की अवधारणा इस प्रकार है।

सामाजिक क्षेत्र विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यय में वृद्धि।

अल्पविकसित क्षेत्रों के लिये साख आपूर्ति प्रणाली की प्रभावकारित में वृद्धि।

मनरेगा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण, मिशन, प्रत्यक्ष लाभान्तरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा भारत निर्माण जैसे विभिन्न आय सृजक, वित्तीय और सामाजिक समावेशन कार्यक्रमों की शुरुआत।

संवैधानिक उपाय—

भारतीय संविधान निर्माता सामाजिक समानता और लोगों के कल्याण की भावना से अत्यधिक प्रभावित थे तथा वह लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समय था। अतः भारतीय संविधान में भी कल्याणकारी राज्य के दर्शन को अपनाया गया। संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि लोगों का कल्याण संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हालांकि कल्याणकारी राज्य शब्दावली का संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संविधान का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य इसकी ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। मूल अधिकारों के माध्यम से विषमताओं पर रोक लगाकर, विशेषकर आरक्षण के विविध प्रावधानों के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक आयोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग अल्पसंख्यक आयोग आदि के गठन तथा भाषाओं अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित किया गया है। नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत भी कुछ विशेष प्रावधान सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि पर ही केंद्रीत है।

सामाजिक उपाय –

भारतीय संविधान में 'समाजवाद' आय की असमानता को समाप्त करने और जीवन स्तर के मानकों को सुधारने के लक्ष्य के रूप में निहित है।

डी.एस.नाकरा और अन्य बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा, "एक समाजवादी राज्य का प्रमुख उद्देश्य आय तथा प्रतिष्ठा की असमानता और जीवन स्तर में विद्यमान असमानता को समाप्त करना है। समाजवाद का मूल लक्ष्य कार्यशील लोगों को गरिमापूर्ण जीवन और विशेषकर जीवनपर्यंत सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

सरकार समाज कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं, आर्थिक संसाधनों का वितरण, समावेशी विकास को प्रोत्साहन, असुरक्षित समूहों (अनुसूचित जाति/जनजाति महिला दिव्यांग एवं बच्चे) का कल्याण, सामाजिक आर्थिक विषमताओं की समाप्ति तथा 21 वीं सदी में भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के उपाय आदि को भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने वाले सामाजिक उपायों के रूप में अपना रही है।

राजनीतिक व प्रशासनिक उपाय –

किसी भी देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना में प्रशासन प्रमुख भूमिका निभाता है। शासन का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये सार्वजनिक-निजी सहभागिता को प्रोत्साहन, लाइसेंस राज की समाप्ति, आर.टी.आई. सिटीजन चार्टर जैसी कल्याणकारी योजनाएं तथा ई-शासन में अधिकाधिक जवाबदेहिता और पारदर्शिता आदि प्रावधान भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना में नौकरशाही प्रशासन को एक अभिकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं।

संदर्भग्रंथ सूची –

- (1) ऑस्टिन ग्रेनविल 1966, दि इंडियन कान्टीट्यूशन कान्स्टोन आफ ए नेशन आक्सफोर्ड, क्लेरडल प्रेस।
- (2) ऑस्टिन ग्रेनविल 1999, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्टीट्यूशन: दि इंडियन एक्सपीरियन्स नई दिल्ली आक्सफोर्ड
- (3) वेबसाइट्स सतत विकास लक्ष्य (कूँ)
- (4) करेंट अफेयर्स टुडे भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध-2024 जुलाई
- (5) करेंट अफेयर्स टुडे भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था 2024 मार्च



EARN YOUR

MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

RESEARCH
GATEWAY

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



AROGYAM
ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

परिवर्तन

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



BLUE

Calms your Child's
Mind & Body

YELLOW

Promotes Concentration,
Stimulates the Memory

PINK

Evokes Empathy,
makes your Child Calm

RED

Excites and energizes
your Child's body

GREEN

Improves Reading speed
and Comprehension

www.parivartan4u.com



परिवर्तन

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMSST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE